राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2023-24 पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल में रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार विधानमंडल में दिनांक 04.09.2025 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है।

राजकोषीय स्थिति

- एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमायें निर्धारित करते हैं, जिनके अंतर्गत,राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ऋण सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में होना चाहिए।
- राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर नहीं रख सकी, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 65,580 करोड़ (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा (जीएसडीपी का 4.06 प्रतिशत) से भी अधिक था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार ग्यारहवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही । राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 31,491 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 38,955 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात के प्रतिशत के रूप में 36.62 प्रतिशत था, जो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (38.20 प्रतिशत) में था।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा भी जीएसडीपी के लक्षित तीन प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षो के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक उधारों का उपयोग बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) के लिए किया गया। *जीएसडीपी की तुलना में ऋण का उच्च अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है और वित्तीय भेद्यता को दर्शाता है एवं राजकोषीय लचीलेपन को कम करता है।*
- भारतीय रिज़र्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम लेने के अवसरों की संख्या 2019-20 में तीन से बढ़कर 2023-24 में 170 बार हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान मार्गोपाय अग्रिम की राशि में वृद्धि की प्रवृति है। *बड़ी मात्रा में मार्गोपाय अग्रिम का निरंतर उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को दर्शाता है,जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का द्योतक है एवं अल्पकालिक स्थिरता को बाधित करता है।*

राज्य का वित्त

- राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत बढ़ी यद्यपि जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 14.36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 13.30 प्रतिशत रह गया ।
- राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ से 9.26 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,69,275 करोड़ हो गया।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद में ₹ 26,646 करोड़ व्यय किए, यह कुल व्यय का 9.90 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,848 करोड़ (34.59 प्रतिशत) बढा। उधार ली गई निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था एवं निवल उधारों का मात्र 8.76 प्रतिशत वर्ष के दौरान पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध था।
- राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और विगत दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत ढांचे और सेवाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के मध्य राजस्व व्यय ₹1,76,485 करोड़ से बढ़कर ₹2,42,231 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (89.44 से 91.90 प्रतिशत) बना रहा।
- वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का औसतन 53 प्रतिशत हिस्सा था। प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 में 93,470 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,26,730 करोड़ हो गया {वर्ष 2022-23 की तुलना में 9.48 प्रतिशत की बढ़ा}।
- अलोचनीय व्यय वर्ष 2022-23 में ₹ 64,525 करोड़ से 22.09 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए वर्ष 2023-24 में ₹50,270 करोड़ रह गया।
- वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय ₹1,77,000 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय का 73.07 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय पर अधिक राशि सरकार के लिए अन्य क्षेत्रों/योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कम संभावना छोड़ती है।
- गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, अर्थ-सहाय्य की बढती प्रवृत्ति है, जो वर्ष 2019-20 में ₹18,990 करोड़ से बढकर वर्ष 2023-24 में ₹28,402 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत से लेकर 98.18 प्रतिशत के मध्य एक बड़ा हिस्सा उर्जा क्षेत्र में अर्थ-सहाय्य का रहा।
- मार्च 2024 के अंत में रोकड़ शेष ₹ 630 करोड़ था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 329 दिनों के लिए मार्गोपाय अग्रिम का उपभोग किया तथा ₹ 340 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

बजटीय प्रबंधन

- राज्य सरकार की बजटीय धारणाएँ यथार्थवादी नहीं थीं। वर्ष के दौरान, दत्तमत अनुभाग में ₹51,246.62 करोड़ और प्रभारित अनुभाग में ₹10,347.99 करोड़ की बचत हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹61,594.61 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता का उचित आकलन किए बिना ₹1,01,422.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए।
- वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि से दो अनुदानों (22-उच्च शिक्षा विभाग और 44-लोक निर्माण विभाग) के अंतर्गत अधिकृत प्रावधान से राशि ₹ 77.73 करोड़ का आधिक्य था, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण आवश्यक है।
- लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान नौ अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत) के मामले देखे गए।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

- विभिन्न विभागों ने 31 मार्च 2024 तक महालेखाकार (लेखा एवं हक़) के कार्यालय को 2010-11 से 2022-23 की अवधि से संबंधित कुल ₹1,122.12 करोड़ के 996 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों का बकाया रहना न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विभागीय अधिकारियों ने वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
- दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 115 व्यक्तिगत जमा खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम. तथा राजस्थान कोषागार नियमों के प्रावधानों के विपरीत था, जो कोषालयों के स्तर पर अनुश्रवन की कमी को दर्शाता है।
- राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुरुपयोग/गबन और चोरी/हानि के राशि ₹ 131.06 करोड़ के 748 मामले सूचित किए,जिन पर 31 मार्च 2024 तक अंतिम कार्रवाई लंबित है।
- 44 स्वायत्त निकायों में से 17 के वार्षिक लेखे, जो 2023-24 तक देय थे, 31 मई 2024 तक प्राप्त नहीं हुए।

प्रधान महालेखाकार